प्रेस नोट दिनांक 12-01-2026 थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद ।

थाना उत्तर पुलिस टीम द्वारा फर्जी फर्म खोलकर 2.20 करोड़ की जीएसटी की चोरी करने वाले 03 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में थाना उत्तर पुलिस टीम द्वारा थाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 603/25 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/3(5) बीएनएस व 69/132 जी0एस0टी अधि0 से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.पवन कुमार पुत्र कोमल सिंह निवासी भारत टाकीज के पीछे शान्ति नगर आसफाबाद थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद, 2. रोहित पुत्र बनवारीलाल निवासी 48 नयापुरा तारागंज समादिया रोड अमोल बिहार कालोनी थाना जनकगंज जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश, 3. पवन पुत्र राम स्वरुप निवासी सुनील का मकान (पानी की टंकी के सामने) विभव नगर थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद को दिनांक 11.01.2025 को गिरफ्तार किया गया है । अभियुक्तगण के कब्जे से जीएसटी फ्राड में प्रयोग किये गये 05 मोबाइल व सिम कार्ड बरामद हुए । अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना का विवरण—

दिनांक 15.10.2025 को वादी श्री शृष्टि जैन सहायक आयुक्त राज्य कर खण्ड-2 फिरोजाबाद द्वारा अभियुक्तगण 1. पवन कुमार (डायरेक्टर DIVYAHYBRID PRIVATE LIMITED) पुत्र कोमल सिंह निवासी भारत टाकीज के पीछे शान्ति नगर आसफाबाद फिरोजाबाद 2. रोहित (डायरेक्टर DIVYAHYBRID PRIVATE LIMITED) पुत्र बनबारी निवासी नयापुरा तारागंज लश्कर ग्वालियर द्वारा धोखाधडी करते हुए कूटरचित प्रपत्रो के आधार पर अपनी फर्म M/S DIVYAHYBRID PRIVATE LIMITED का जी0एस0टी0 पंजीयन प्राप्त कर 2.20 करोड के राजस्व क्षति करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 603/2025 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/3(5) बीएनएस व 69/132 जी0एस0टी अधि0 पंजीकृत कराया गया था । उक्त मामले में विवेचना हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा अपर अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में जीएसटी चोरी से सम्बन्धित मामलो के खुलासे के लिये एसआईटी गठित की गयी थी जिनको सहयोग के लिये सर्विलांस तथा साइबर सैल को भी निर्देशित किया गया था । गठित एसआईटी के द्वारा विवेचना के दौरान पाया गया कि पवन कुमार पुत्र राम स्वरुप निवासी सुनील का मकान (पानी की टंकी के सामने) विभव नगर थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद के द्वारा सबसे पहले DIVYAGATI LIMITED नाम से फर्म चलायी जा रही थी उक्त फर्म को अवैध लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से पवन कुमार पत्र कोमल सिंह, रोहित पुत्र बनवारीलाल व कमल कुमार चार्टेड अकाऊंटेट निवासी लोहामण्डी जिला आगरा के द्वारा एक सामान्य आशय से अवैध लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से DIVYAHYBRID PRIVATE LIMITED फर्म को पवन कुमार व रोहित कुमार को फर्म का डायरेक्टर बनाते हुए इनके नाम पते पर दिनांक 01.03.2024 को रिद्धि सिद्धि मार्केट दुकान नं0 11, दम्मामल नगर फिरोजाबाद के पते पर जीएसटी पंजीकरण कराया गया । साक्ष्य संकलन से यह पाया गया कि उक्त पंजीकरण में रेन्ट एग्रिमेन्ट दिनांक 18.02.2024 पूर्ण रूप से कूटरचित पाया गया । इसके अलावा DIVYAHYBRID PRIVATE LIMITED फर्म के द्वारा वर्ष 2023-2024 में

बिना किसी माल की खरीद के कुल 8.32 करोड रूपये की माल का विक्रय किया गया इसी प्रकार वर्ष 2024-2025 में कुल 7.58 लाख रूपये का विक्रय दर्शाया गया। इनके द्वारा वर्ष 2023-2024 व 2024-2025 में जीएसटी विभाग द्वारा कुल 2.20 करोड रूपये की देनदारी तय की गयी परन्तु उक्त फर्मों के द्वारा जीएसटी का भुगतान नही किया गया साक्ष्य संकलन से यह पाया गया कि इनके द्वारा दर्शाये गये क्रय विक्रय दर्शाये गये माल व उनके परिवहन में उपयोग लाये गये वाहनों वास्तविक रूप से कोई उपयोग नही किया गया बल्कि आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रैडिट) का लाभ प्राप्त करने के लिये कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग किया। उक्त मामले में गठित एसआईटी द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.पवन कुमार पुत्र कोमल सिंह निवासी भारत टाकीज के पीछे शान्ति नगर आसफाबाद थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद ,2.रोहित पुत्र बनवारीलाल निवासी 48 नयापुरा तारागंज समादिया रोड अमोल बिहार कालोनी थाना जनकगंज जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश, 3. पवन पुत्र राम स्वरुप वर्मा निवासी सुनील का मकान (पानी की टंकी के सामने) विभव नगर थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद को पूछताछ के बाद दिनांक 11.01.2025 को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण के कब्जे से जीएसटी फ्राड में प्रयोग किये गये 05 मोबाइल व सिम कार्ड बरामद हुए। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। मुकदमा उपरोक्त में चार्टेड अकाऊंटेट कमल कुमार उपरोक्त के द्वारा अपने कम्प्यूटर संशाधनो का उपयोग करके उक्त फर्जी फर्म DIVYAHYBRID PRIVATE LIMITED के पंजीकरण से लेकर उसके बिल बाऊचर आदि समस्त कार्यवाही की गयी है जिसकी तलाश की जा रही है। सभी सम्बन्धित फर्मों को जीएसटी विभाग द्वारा निरस्त किया गया है, घटना में प्रयुक्त सभी बैंक खातों का विवरण प्राप्त कर उनकी सीजर की कार्यवाही की जा रही है तथा फर्जी फर्म के द्वारा अन्य जिन फर्मों से लेन देन किये गये है उनके सम्बन्ध में साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम पता -

1.पवन कुमार पुत्र कोमल सिंह निवासी भारत टाकीज के पीछे शान्ति नगर आसफाबाद थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।

2.रोहित पुत्र बनवारीलाल निवासी 48 नयापुरा तारागंज समादिया रोड अमोल बिहार कालोनी थाना जनकगंज जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश।

3. पवन पुत्र राम स्वरुप निवासी सुनील का मकान (पानी की टंकी के सामने) विभव नगर थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त पवन कुमार उपरोक्त ---

1. मु0अ0सं0 603/2025 धारा 318(4)/ 336(3)/ 338/ 340(2) बीएनएस 69/132 जी0एस0टी अधि0 थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त रोहित उपरोक्त ---

1. मु0अ0सं0 603/2025 धारा 318(4)/ 336(3)/ 338/ 340(2) बीएनएस 69/132 जी0एस0टी अधि0 थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त पवन उपरोक्त ---

1. मु0अ0सं0 603/2025 धारा 318(4)/ 336(3)/ 338/ 340(2) बीएनएस 69/132 जी0एस0टी अधि0 थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।
2. मु0अ0सं0 572/2024 धारा 231 बीएनएस थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद
3. मु0अ0सं0 92/2024 धारा 120बी/406/420/504/506 भादवि थाना रकाबगंज नगर कमिश्नरेट आगरा।

बरामदगी का विवरण

1. 05 मोबाइल फोन व सिम कार्ड ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अन्जीश कुमार सिंह थाना उत्तर, फिरोजाबाद
2. निरीक्षक अपराध श्री राकेश कुमार थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद
3. उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद
4. उ0नि0 श्री रितिक शर्मा थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद
5. है0का0 गोपाल सर्विलांस सैल जनपद फिरोजाबाद
6. का0 अतुल भार्गव साइबर थाना जनपद फिरोजाबाद
7. का0 1409 विजय कुमार थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद
8. का0 198 धर्मेन्द्र कुमार थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद
9. का0 498 वेदप्रकाश थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद ।